50

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :— अमिताभ कौशिक (आर.ए.एस.)

परिवाद संख्या :— 36 / 2016

दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (विक्रेता)
   मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
   भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
   निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (मालिक)
   मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
   भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
   निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51,52 एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15 / 03 / 2017

उक्त परिवाद प्रार्थना—पत्र श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51,52 एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011 के तहत प्रस्तुत किया, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं दीपक कुमार सिंधी ने दिनांक 28 / 09 / 2015 को कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा थे, और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच. / पी.एफ.ए. / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26 / 07 / 11 तथा संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक / एच. / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09 / 08 / 2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच. / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार श्री दीपक कुमार सिंधी का कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर आवंटित किया गया है। परिवादी दिनांक 28 / 09 / 2015 को 5.30 पी.एम. मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर विक्रेता उपस्थित थे। श्री रामसिंह गुर्जर को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री रामसिंह गुर्जर ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया एवं उन्होंने मौके पर वेट रजिस्ट्रेशन —03, राजस्थान कृषि उपज मण्डी का स्थाई अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर विक्रेता की मिल में सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर की 500 एल.एल. वाली सील्ड पेट बोतलों के 109 कार्टून (109x30x500ml) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई पाई गई। इनमें मिलावट / मिसब्राण्ड का शक हाने पर वास्ते नमूना जांच हेतु सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर की 04 सील्ड पेट बोतल (4X500ml) एक कार्टून में से खरीद कर उनकी कीमत 140 / — रूपये विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को नगद अदा कर रसीद प्राप्त

न्याय निर्णायक अधिकारी,

Scanned by CamScanner

18 51

की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री किशोरमल शर्मा तथा श्री रतनलाल वर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने से पहले मौके पर फार्म संख्या 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामसिंह गुर्जर ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की प्रति विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर की 04 सील्ड पेट बोतलों (4X500ml) मूल कम्पनी पैक पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर लेबल चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर जोन के कोड़ एवं क्रमांक ए.सी.–777 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 ए.सी.–777 नियमानुसार चारो नमूना बोतलों के नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को Form of Order of SEIZURE का Form III मौके पर दिया गया तथा SEIZURE Memo form II तथा Surety Bond फॉर्म 4 को मौके पर ही भरकर शेष बचे हुए माल 109 कार्टून x30x500ml = 1635 लीटर –2 लीटर कुल 1633 लीटर (500 ml वाली 3266 सील्ड PET बोतल) सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर को विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुद किया गया। फॉर्म 2 एवं Surety Bond फॉर्म 4 की प्रतियां संलग्न आवेदन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन मुख्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के संलग्न की गई। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज, जयपुर को जमा करवाकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द कर नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2532/एक्ट/2015/1949 दिनांक 18/11/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर अनसेफ होना पाया गया। **जाने के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन** उक्त कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 05/05/2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2,4,6 (1) के तहत नमूने की जांच से असंतुष्ट होकर नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में आवेदन कर अपील की जिसे स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य. सुरक्षा) द्वारा रेफरल लैब में लिए गये नमूने के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में भिजवाया गया। उक्त नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या सी. 173/16–आर.एफ.एल. /307 दिनांक 10.03.2016 के अनुसार खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना घोषित किया जाने के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से नमूने की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस/2532/एक्ट/2015/1949 दिनांक 18/11/2015 एवं रेफरल लेब की जांच रिपोर्ट संख्या सी. 173/16–आर.एफ.एल./307 दिनांक 10.03.2016 को पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/315

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं ... कलक्टर

Scanned by CamScanner

58

दिनांक 02/06/2016 के द्वारा परिवादी को दी गई तथा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अतः अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) डबल फिल्टर का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए अभियुक्त पर भारी जुर्माना आरोपित किया जावे। उपरोक्त प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अभियुक्तगण को दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को वास्ते सुनवाई जर्ये नोटिस सूचित किया गया।

गैर सायलान की ओर से जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण मौके पर नहीं किया गया ना ही कोई पत्ते के कार्टून में डबल फिल्टर सरसों तेल विक्रय हेतु रखा गया था, ना ही विक्रेता रामसिंह से कोई नमूने लेने की रसीद प्राप्त की एवं ना ही उसके हस्ताक्षर करवाये गये। 5R. की रिपोर्ट कार्यालय में बैठे-बैठे आवेदक ने तैयार कर रामसिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रकरण अशुद्ध मन एवं अस्वच्छ हाथों से असत्य तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से खारिज होने योग्य है।

बहस सुनी गयी तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। गैर सायलान एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया गलत होना बताया। परन्तु उनकी ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं शाहदत प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि दूसरी ओर आवेदक द्वारा निरीक्षण कार्यवाही में गवाहों की उपस्थिति में लिये गये नमूनों की लैबोर्ट्री से करवाई गई जांच में उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (जयपुर ब्राण्ड) को सबस्टैण्डर्ड एवं मिस ब्राण्ड होना पाया गया है, जो पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार गैर सायलान द्वारा सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का स्पष्ट उल्लंघन करने के दोषी होना प्रकट होते है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए उक्त प्रावधानों के अनुसरण में गैर सायलान को जुर्माना से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण/गैर सायलान (1) श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री प्यारेलाल गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो० पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (2) श्री प्यारेलाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो० पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर 200000 (दो लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। इसे जर्ये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा करवाकर रसीद चालान पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 15/03/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी,
एवं
अतिरिक्त कलक्टर
कोटपूतली, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner